यह अपील श्री भैंरू लाल शर्मा एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 10.09.2018, प्रकरण संख्या 61/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के आदेश दिनांक 10.09.2018 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.09.2018 को विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अन्तिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है वो भी मियाद बाहर पेश की हैं तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करने जो कारण दर्शाये गये है वह भी संतोषजनक नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार योग्य हैं ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।